न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– दावा संख्या 88/2019

निर्णय दिनांक :– 30.12.19

पूर्णमल पुत्र ईशरराम जाति ब्राहमण निवासी वा.नं. 11 रतनगढ जिला चूरू

_ वादी

बनाम

1. दुलीचन्द पुत्र ईशरराम जाति ब्राहमण निवासी वा.नं. 11 रतनगढ जिला चूरू
2. सुखदेव पुत्र ईशरराम जाति ब्राहमण निवासी वा.नं. 11 रतनगढ जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

_प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री रोहिताश सिंह अभिभाषक वादी
2. श्री खेमाराम प्रजापत अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 व 2
3. पैरोकार राज

दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादीगण की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 30.10.2019 को प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. दावा वादीगण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि स्व. ईशरराम की पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त के दो खेत ख.नं. 180 तादादी 0.1265 हैक्टेयर व ख. नं. 2474/209 तादादी 10.1804 हैक्टेयर कुल तादादी 10.3069 हैक्टेयर रोही

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

कस्बा रतनगढ में स्थित है। राजस्व अभिलेखों में 1/3 हिस्सा वादी के नाम से व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से खातेदारी चली आ रही है। इस भूमि का मौखिक विभाजन मौके पर सहमती से कर रखा है लेकिन कानूनन मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन नही होने से खातेदारी संयुक्त चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण मौखिक विभाजन के अनुसार राजस्व अभिलेखों में खातेदारी व लगान कायम करवाने के अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को मौखिक विभाजन के अनुसार कानूनी विभाजन करवाने का निवेदन किया तो वे दिनांक 26.10.2019 को इन्कार कर दिये जाने से वादी को वाद हेतु प्राप्त है तथा पैतृक सम्पति होने से वादाधार वादी को प्राप्त है।

3. अतः दावा की मद संख्या 2 में अकिंत वादगत खेतों का मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कर खातेदारी व रकम राज अलग अलग कायम की जावे।
4. वादगत भूमि ग्राम रतनगढ में स्थित है इसलिए श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार न्यायालय को है।
5. वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक दिनांक 09.12.2019 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा राजीनामें के अनुसार दावा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की गई।
6. बहस विद्वान अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड एवं राज़ीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी के दो खेत ख.नं. 180 तादादी 0.1265 हैक्टेयर व ख.नं. 2474/209 तादादी 10.1804 हैक्टेयर कुल तादादी 10.3069 हैक्टेयर रोही कस्बा रतनगढ में स्थित है। वादगत भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/3,1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है तथा उसीके अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन चाहा गया है। पैरोकार राज की ओर से भी कोई आपति नही की गई है। इस प्रकार राजीनामा के अनुसार दावा वादी स्वीकार योग्य है। चूकिं विभाजन से पूर्व प्रत्येक खातेदार का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त माना जाता है। इसलिए मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगाया जाकर मिट्स,

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन एवं लगान कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार वादीगण का दावा राजीनामा के आधार पर प्राथमिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादीगण राजीनामा के अनुसार प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है। खेत ख.नं. 180 तादादी 0.1265 हैक्टेयर व ख.नं. 2474/209 तादादी 10.1804 हैक्टेयर कुल तादादी 10.3069 हैक्टेयर रोही कस्बा रतनगढ में वादी पूर्णमल का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 दुलीचन्द का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 सुखदेव का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिसे वो संयुक्त खातेदारी से विभाजन करवाने की अधिकारी है। चूकिं मौके पर खसरों के टूकड़े होने है इसलिए मौका की स्थिति के अनुसार तहसीलदार, रतनगढ से राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अन्तर्गत विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। प्राथमिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 30.12.19 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.01.01 17:52:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: